

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.28()पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/स्था.पद/2018/3713

जयपुर,दिनांक 16.8.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-दौसा ।

विषय:- ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर,पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क.स.	सर्व श्री/श्रीमति /सुश्री	कहाँ से(ग्रा.प./पं0स0)	कहाँ को (ग्रा.प./पं0 स0)
1	रामावतार छीपा	पं0स0 लालसोट (दौसा) से पं0स0 बांदीकुई स्थानान्तरणाधीन (विभागीय निर्देश क्रमांक 3301 दिनांक 20.07.2018 के द्वारा)	निरस्त कर,यथावत पं0स0 लालसोट(दौसा)


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

नोट:-

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावें ।


(दिनेश कुमार जांगिड)
संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:-ए.सी.पी मुख्यालय को विभाग की बैबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है ।


संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त